राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन

करने का सुनहरा अवसर

कमांक:-एफ167-111 / मु० / प्रशा. / वि.के. / 2023 / 1 4 2 4

दिनांक:- 24/62/2623

ई-बोली सूचना संख्या 06/2022-23

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपने 59वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। निगम का मूल उद्देश्य सडक परिवहन अधिनियम 1950 के अन्तर्गत यात्रियों को आर्थिक, परिपूर्ण, समयबद्वता एवं योग्य परिवहन सेवाओं के द्वारा यात्रियों एवं सामान को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना है। वर्तमान में निगम बेडे में लगभग 3800 बसें एवं 52 डिपो संचालित है, जिनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 14 लाख कि.मी. संचालित होते है तथा लगभग 9 लाख यात्री प्रतिदिन अपनी यात्रा सम्पन्न करते है।

यहीं नहीं निगम की ब्लूलाइन साधारण/एक्सप्रेस/ वोल्वो/ए.सी./नॉन ए.सी./ लग्जरी आदि श्रेणियों की बसें पूरे राजस्थान राज्य के संभाग, जिला स्तर, तहसील, ढाणी, गॉवों तक चलती है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एव चंडीगढ तक भी निगम की बसें संचालित होती है। यदि बसों के संचालन, यात्रियों के सामान से संबंधित कोई समस्या होती है तो निगम मुख्यालय पर ऐसी समस्याओं पर राहत देनें के लिये केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है, जो कि 24 घंटे कार्यरत है।

अतः निगम के उद्देश्यों की पूर्ति तथा यात्रियों एवं उनके सामान निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु निगम के लाइसेंसी नियुक्त का सुनहरा अवसर प्रदान करते हुये निगम वाहनो की छतों पर लगे हुए लगेज केरियर के आधे भाग (50 प्रतिशत) एवं जिन बसों में लगेज कैरियर नहीं है, उनमें डिक्की के 50 प्रतिशत भाग यदि दो डिक्की है तो एक डिक्की में, चालक केबिन के पास प्लास्टिक बॉक्स में छोटे पार्सल लिफाफे आदि, घरेलू सामान, लघु पार्सल एवं सामान्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप में संभावित न्यूनतम समय पर परिवहन हेतु सोल लाइसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई—बोली प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन बोली आमंत्रित की जाती है। ई—बोली निगम की लगभग 3300 बसों (जिनमें निगम के डीलक्स आगार द्वारा संचालित बसें शामिल नहीं हैं) के लिए आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in एंवम स्टेट पोर्टल (sppp) पर देखें ।

इस बोली से संबन्धित विवरण निम्नानुसार है:-

Φ.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एंव समय
सं.		विशावर १५ समय
1	बोली सूचना जारी होने की दिनांक	24.02.2023
2	बोली प्रपत्र शुल्क (Financial Advisor RSRTC) को देय) payable at Jaipur	400 / - (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र)
3	धरोहर राशि (Financial Advisor RSRTC को देय	9,36,000 / -(अक्षरे नौ लाख छत्तीस
	payable at Jaipur)	हजार रूपये मात्र)
4	बोली प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur को देय	2,000 / - / - (अक्षरे दो हजार मात्र)
5	बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करने की अवधि	27.02.2023 से 20.03.2023 तक समयः प्रातः 11:00 बजे तक।
6	प्री-बिड दिनांक व समय	09.03.2023 समय 12.30 बजे।
7	बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी बोली) व समय	20.03.2023 समय 15:30 बजे।
8	आरक्षित दर	13,00,000 / —(अक्षरे तेरह लाख रूपये मात्र) प्रतिमाह

नाट:--

- बोली की समस्त प्रकिया ऑनलाइन होगी।
- बोली खोलने की तिथी को किसी कारणवश अवकाश की दशा में अगले दिन बोलियां खोली जाएगी। लेकिन समय पूर्व निर्धारित ही रहेगा (अर्थात समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा)।
- बोली दाता निगम के वाहनों की छतों पर लगे हुए लगेज कैरियर के आधे भाग (50 प्रतिशत) एवं यदि बस में दो डिक्की है तो एक डिक्की में, चालक केबिन के पास प्लास्टिक बॉक्स में छोटे पार्सल लिफाफे आदि, घरेलु सामान, लघु पार्सल एवं सामान्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप में संभावित न्यूनतम समय में परिवहन हेतु स्थेल लाइसेंसी

नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई—बोली प्रकिया द्वारा ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करेगा।

- 4. बोली प्रपत्रों में बोली दाता के लिए सूचना एवं बोली दाता की पात्रता आदि की शर्ते वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 5. बोली प्रपत्र डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली शुल्क 400/— (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र)), धरोहर राशि 9,36,000/—(अक्षरे नौ लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र) एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि 2,000/— (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) की डी.डी. संख्या दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित करे।
- 6. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 20.03.2023 को 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
- कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8. बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रिजस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोली दाताओं के पास वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- 9. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क एवं धरोहर राशि (F.A., R.S.R.T.C.) को डी.डी. द्वारा जमा कराना होगा तथा बोली प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी. आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी. देय होगी यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 20.03.2023 को 15.00 बजे तक उक्त डी.डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
- 10. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- 11. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोली दाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।
- 13. तकनीकी एंव वित्तीय बोलियाँ अलग-अलग खोली जायेगीं इसलिए दोनों बोली अलग अलग ऑन लाइन भरी जायेगीं एंवम् उस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी / वित्तीय बोली (जैसी भी स्थिति हो) अंकित हो। तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगीं अन्य बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

उपरोक्त कार्य हेतु बोली प्रस्तुत करने हेतु निम्न आवश्यक शर्ते है :-

1. बोलीदाता / कम्पनी / संस्था को निम्नविवरणानुसार योग्यताओं को परा करना आवश्यक 🌯

क.स.	योग्यता का विवरण विवरण करना आवश्यक है:-
1	बोलीदाता / कम्पनी / संस्था को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
2	बोलीदाता को पार्सल कोरियर सेवा करने के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये एवं जहां पर उसके द्वारा पार्सल कोरियर सेवा करने का कार्य किया गया है उस संस्था / कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, कार्यादेश, अनुबन्धों की प्रति एंवम् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है।
3	बोलीदाता / कम्पनी / संस्था को तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
4	बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्षों में औसत 20 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

बोलीदाता / कम्पनी / संस्था (बोलीदाता) द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव (बोली) को निरस्त / अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा। स्टार्टअप उद्यमियों को राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ 2(1) एफ.डी. / एफ.पी.एफ.सी. / 2017 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत अनुभव व टर्न ओवर में छूट दी जावेगी।

- 2. बोली के साथ धरोहर राशि 9,36,000 / (अक्षरे नौ लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र) की डी.डी. / बैंकर्स चैक के रूप में F.A., R.S.R.T.C. के नाम से संलग्न करनी होगी। यह राशि जमा नहीं होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी । यह राशि प्राप्त बोली पर अंतिम निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगें उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 3. दिवस के भीतर-भीतर सुरक्षा राशि के रूप में छः माह के लाईसेंस शुल्क के बराबर बैंक गारण्टी (शिड्यूल बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक) राशि डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा करानी होगी, जो कि अनुबन्ध समाप्त होने के छः माह बाद तक की अवधि तक विधि मान्य होगी। यह राशि धरोहर राशि रूपये 9,36,000 / -(अक्षरे नौ लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त देय होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना किसी ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बोलीदाता को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करानी होगी एंव साथ ही निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा । यदि उसके द्वारा सुरक्षा राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा अनुबन्ध नहीं किया जाता है तो जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारन्टी निगम में प्रस्तुत करने एंव अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात ही बोलीदाता को निगम की बसों में लघु पार्सल सेवा संचालन संबंधी कार्य करने हेतु अनुजाधारी (लाइसेंसी) नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं।

4. निर्धारित दर के अनुसार अग्रिम तीन माह की कुल लाईसेंस शुल्क राशि(एक मुश्त टुकडों में

नहीं) का भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा:-जमा की दिनांक को फीस जमा नही जमा का विवरण कं. करवाने पर शास्ति सं. प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख 1 देय दिनांक से 500 रू प्रतिदिवस प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 15 दिवस की देरी करने पर देय दिनांक से 1000 रू प्रतिदिवस प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 16 सें 30 दिवस की देरी करने पर देय दिनांक से 2000 रू प्रति दिवस प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के 4 पश्चात 31 सें 60 दिवस की देरी करने पर फर्म की सम्पूर्ण अमानत राशि व सुरक्षा राशि प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के 60 5 को जब्त करते हुए अनुबन्ध को समाप्त करना दिवस पश्चात एंव फर्म को तीन वर्ष के लिये किसी भी बोली में भाग लेने के लिये ब्लैक लिस्ट करना ।

5. निगम की बसों के माध्यम से लघू पार्सल सेवा संचालन करने के एवज में अनुजाधारी (लाइसेंसी) को निगम में अनुबन्ध अविध में उक्त सूचित की गई लाईसेंस शुल्क राशि तिमाही अग्रिम जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथी से एक वर्ष तक वहीं रहेगी। लाइसेंस फीस अग्रिम जिर्पये बैंकर्स चैक/बैक ड्राफ्ट/आर टी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा करानी होगी। निगम का आर टी जी एस नम्बर निम्नानुसार है:—

Beneficiary	R.S.R.T.C
Account No	677405000011
Beneficiary bank	ICICI Bank Ltd
Beneficiary branch	Parivahan Marg, Jaipur-30200
Beneficiary RTGS Code	ICIC 0006774
Amount to be remitted	

- अनुबन्ध की कुल अविध तीन वर्ष की होगी।
- ताइसंस अविध में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय अनुजाधारी (लाइसंसी) को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी कोई क्षतिपूर्ति अनुजाधारी (लाइसंसी) को देय नहीं होगी। यदि अनुजाधारी (लाइसंसी) हारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाइसंस प्रारम्भ होने की दिनांक से 6 माह तक अनिवार्य रूप से कार्य करना ही होगा तथा उसके पश्चात 6 माह पूर्व अनुबंध समाप्त करने की सूचना निगम को देनी होगी (अर्थात एक वर्ष की अविध की लाइसंस फीस का भुगतान निश्चित रूप से करना ही होगा)। 6 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में अनुज्ञाधारी (लाइसंसी) की जमा धरोहर एंव सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- श. पार्सल के रखरखाव के लिए निगम अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डों पर अधिकृत सोल लाइसेंसी को खुला स्थल (ओपन स्पेस) का स्थान निगम परिसर में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगा। खुले स्थल पर लाइसेंसी को पार्सल आफिस का अस्थाई शेंड (टीन/फायबर शीट) स्वयं के खर्चे से बनाना होगा। खुला स्थान (ओपन स्पेस) की दर जयपुर हेतु 50 रूपये प्रति स्क्वे फुट, जिला स्तर के बस स्टैण्डों पर 30 रूपये प्रति स्क्वे फुट एंव अन्य बस स्टैण्डों पर 20 रूपये प्रति स्क्वे फुट प्रतिमाह के अनुसार आगार कमेटी खुले स्थल का आवंटन करेगी तथा उक्त पर नियमानुसार कर आदि देय होगें। नियमानुसार नया विधुत मीटर/सर्विस मीटर लाइसेंसी द्वारा स्वयं के खर्चे से लगाने के बाद विधुत खर्च अतिरिक्त देय होगा, स्थल की लाइसेंस फींस एंव बिजली उपभोग की राशि संबंधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में अधिकृत सोल लाइसेंसी द्वारा प्रतिमाह जमा कराई जावेगी ।
- 9. अनुझाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर—भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना लागेगा।
- अनुङ्गाधारी (लाइसेंसी) इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे संस्थान/व्यक्ति को न तो किराये पर देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण आदि करेगा।
- 11. पार्सलसेवा योजना निगम के सभी बस स्टैण्डों से सभी बस स्टैण्डों तक लागू होगी। योजना के अन्तर्गत पार्सल आदि निगम द्वारा संचालित समस्त राज्य के मार्गों एवम् अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों से परिवहन किये जा सकेगें।
- 12. इस योजना के अन्तर्गत पार्सल बुक करने से लेकर निगम के निर्धारित वाहनों में गन्तव्य तक पार्सल पहुंचाने का समस्त दायित्व अधिकृत सोल लाइसेंसी का होगा। सोल लाइसेंसी पार्सलों की बुकिगं "एट ओनर रिस्क" पर ही बुक करेगा। यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, लूटपाट, कर्फ्यू हडताल ,बस दुर्घटना एंव अन्य कारणों से पार्सल क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम हो जाता है तो निगम जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात निगम किसी प्रकार के जोखिम, दावा या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी विधिक विवाद हेतु जवाबदार होगा। किसी भी प्रकार के कर एंव चुंगी आदि के भुगतान की सम्यूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत लाइसेंसी की होगी। पार्सलों के टूट फूट ,चोरी एंव गुम आदि से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में यदि लाइसेंसी चाहे तो स्वयं के खर्चे से बीमा करवा सकता है। यदि लाइसेंसी बीमा नहीं करवाता है तो समस्त क्षति के लिये लाइसेंस धारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 13. पार्सलों के रखने हेतु निगम बसों की छत जिन पर लगेज कैरियर लगे हैं, का 50 प्रतिशत तक स्थान पार्सल रखे जाने हेतु आरक्षित रहेगा तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान निगम के यात्रियों का सामान रखने हेतु रहेगा तथा एक समय में एक बस में कुल 250 किलोग्राम से अधिक वजन के पार्सल स्वीकार नहीं किये जावेगें तथा वहीं पार्सल स्वीकार योग्य होगें, जिनका नाप प्रति पार्सल 36x20x20 (घन इंच) एवं वजन सुविधाजनक होगा सुविधा वाहनों की छत पर केरियर नहीं होने के कारण सुविधा वाहनों की डिक्की में 50 किलो वजन तक के केवल छोटे पार्सल /डाक परिवहन की जा सकेगी। जिन ब्लू लाइन बसों पर लगेज केरियर नहीं है उनमें डिक्की के 50 प्रतिशत स्थान में पार्सल रखे जा सकेगें एवं जिन बसों में लगेज केरियर नहीं है तथा दो डिक्की है उनमें से एक डिक्की पार्सल परिवहन हेतु आरक्षित रखी जा सकेगी।

- 14. लाइसेंसी को बसों के अन्दर लघु पार्सल/व्यापारिक/घरेलू सामान ले जाने की अनुमित नहीं होगी लेकिन चालक के केबिन के पास 25 किलोग्राम तक सामान रखने के लिये प्लास्टिक लॉकयुक्त डिब्बा रखना अनुमत होगा। जिसमें छोटे पार्सल एवं लिफाफे रखे जा सकेंगे प्लास्टिक डिब्बा लाइसेंसी द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 15. सरकार द्वारा नियंत्रित / प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मादक पदार्थ, तरल पदार्थ एंव अति ज्वलनशील पदार्थ आदि के पार्सल परिवहन नहीं किये जा सकेगें।
- 16. सोल लाइसेंसी द्वारा पार्सल भेजे जाते समय यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि पार्सल के अन्दर कोई ज्वलनशील पदार्थ एंवम् अवैधानिक व आपित्तजनक वस्तुएं पार्सल में नहीं है। इस प्रकार की कोई घोषणा असत्य पाये जाने एंव वैधानिक कार्यवाही होने पर एजेन्सी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। सोल लाइसेन्सी को अपने खर्चे पर सामानों/पार्सलों की रकैन करने की व्यवस्था करनी होगी। अतः रकैनर लाइसेन्सी को अपने स्तर से लगाना होगा।
- 17. पार्सलों की बुकिगं, वितरण, बसों में पार्सलों की चढाई, उतराई आदि का समस्त कार्य सोल लाइसेंसी के द्वारा ही किया जायेगा तथा इस पर होने वाले समस्त खर्चे का वहन भी उनके द्वारा ही किया जायेगा ।
- 18. ट्रेवल एजेंसीज जो कि यात्री परिवहन का कार्य करती है, उन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है ।
- 19. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व के बस स्टैण्ड पर पार्सल आफिस के लिए खूले स्थल (ओपन स्पेस) की जगह दी जावेगी तथा जहां पर निगम के स्वामित्व के बस स्टैण्ड नहीं हैं वहा पर अधिकृत सोल लाइसेंसी को जगह दिलवाने के लिए निगम मदद कर सकेगा लेकिन वहां का लोकल कर/लाइसेंस फीस लाइसेंसी को भरनी होगी। निगम बस स्टैण्डों की सूची बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है।
- 20. अधिकृत एजेन्ट द्वारा संबंधित चालक / परिचालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 रूपये (दस रूपये) प्रति चालान दिया जायेगा, जो कि मासिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी लेकिन इस आधार पर अधिकृत एजेन्ट उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आयेगा।
- 21. अधिकृत सोल लाइसेंसी भेजें जाने वाले सामान का चालान तीन प्रतियो में तैयार करेगा। जिसकी एक प्रति चालक/परिचालक को दी जाकर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा लेकिन चालक/परिचालक के हस्ताक्षर के आधार पर पार्सल प्राकृतिक आपदा ,आगजनी ,तोडफोड ,मारपीट, कर्पयू हडताल, बस दुर्घटना एंव अन्य कारणों से गुम होने पर चालक/परिचालक एंव निगम जिम्मेदार नहीं होगा । भविष्य में लाइसेंसी के लगेज पार्सल आदि हेतु यदि परिचालक ईटीआईएम से टिकिट जारी करने की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है तो निर्धारित राशि लाइसेंस फीस के अतिरिक्त देय होगी।
- 22. पार्सल व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था पार्सल एजेन्ट को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी। यदि एजेन्सी पार्सल बुकिगं हेतु सब एजेन्ट रखेगा तो इनके द्वारा किये गये समस्त कार्य कलापों के लिए सोल लाइसेंसी की ही पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व होगा।
- 23. गन्तव्य स्थान पर पार्सल प्राप्त करने हेतु अधिकृत सोल लाइसेंसी के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने की दशा में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किन्तु चालक / परिचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अधिकृत सोल लाइसेंसी के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने / सामान की सुपुदर्गी नहीं लेने पर संबधित बस स्टैण्ड के प्रभारी को उक्त सामान चालान सिहत सम्भलावेगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त सामान 100 / रूपये प्रति पार्सल प्रति दिन शास्ति राशि वसूल कर अधिकृत सोल लाइसेंसी को दिया जावेगा।
- 24. बसों में भेजे जाने वाले सामान पर केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र का कर, टोल कर अथवा अन्य कोई भी कर देय होगें तो उसका भुगतान अधिकृत सोल लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस फीस के अतिरिक्त किया जावेगा ।
- 25. जिस दिन संबंधित आगार द्वारा टायर रिट्रेडिगं हेतु भेजे जावेगें अथवा जयपुर से नये टायर किसी आगार को भेजे जावेगें उस दिन उस बस में अधिकृत सोल लाइसेंसी द्वारा सामान नहीं भेजा जावेगा। इसके लिए निगम की कोई जवाबदेही नहीं होगा।
- 26. अनुबन्ध की शतों का उल्लघंन करने पर अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को सात दिवस का नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देते हुये विचारोपरान्त लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने अथवा नहीं करने का अधिकार निगम को होगा।
- 27. लाइसेंस धारी द्वारा पार्सल सामान्यतया बुकिगं के समय से 48 घन्टे के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाई जावेगी ओर जहां तक सम्भव होगा निगम समयबद्वता का पूरा ध्यान रखेगा लेकिन ऐसे किसी कारण से जिन पर निगम का नियंत्रण नहीं हो विलम्ब हो जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही निगम अदृश्य कारणों से होने वाली क्षति टूट-फूट, ईश्वरीय कारण, दुश्मन की कार्यवाही अथवा दोष जो प्रेषणदाता का रहा हो, ब्रेक डाउन,दुर्घटना, तालाबन्दी, हडताल ,जनविद्रोह युद्ध दंगे आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 28. निगम वाहनों द्वारा डाक विभाग की डाक, निगम डाक एंव स्टेशनरी राज्य सरकार की डाक अथवा सामान एंवम् समाचार पत्र लाने व ले जाने का निगम को पूर्ण अधिकार रहेगा तथा

सोल लाइसेंसी को यह कार्य करने का अधिकार नहीं होगा न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा ।

- 29. निगम बसों से यात्रा के दौरान यात्री के साथ निजी / घरेलू सामान का परिचालक द्वारा पूर्वानुसार लगेज टिकिट जारी किया जावेगा। इस सामान को पार्सल सेवा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- पार्सल बुिकगं व डिलीवरी हेतु रिक्शा/ठेला को पार्सल स्थल तक आने की अनुमित संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक/स्थान प्रभारी द्वारा दी जायेगी।
- 31. पार्सल बुकिगं व डिलीवरी में निगम की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट-फूट/नुकसान होगा तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को निगम द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की तुरन्त (15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।
- 32. अनुबन्ध समाप्त होने पर फर्म द्वारा स्थापित (पार्सल/कार्यालय हेतु) टीन/फाईबरशीट के कार्यालय/संसाधनों को अपने खर्च पर 15 दिवस के अन्दर हटाना होगा। अन्यथा उक्त सामग्री को निगम द्वारा जन्त कर लिया जावेगा तथा निगम द्वारा हटाये जाने पर हुए समस्त व्यय को लाइसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से वसूल किया जा सकेगा।
- 33. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) श्रम कानून एंव भविष्य निधी कानून की पूर्ण पालना करेगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंधन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 34. वाहन जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति में पार्सल बुिकगं हेतु उपलब्ध करवाये जावेंगे जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होंगे।
- 35. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को समय—समय पर निगम द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 36. बोली प्रस्ताव ई—बोली के माध्यम से प्रेषित करने होगें।
- 37. बोली प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें साथ ही प्रमाण भी पेश करें।
- बोलीदाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।
- 39. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
- 40. यदि किसी संस्थान / व्यक्ति / फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया / विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
- 41. उक्त बोली प्रकिया द्विस्तरीय होगी अर्थात तकनीकी एंवम् वित्तीय बोली अलग—अलग खोली जावेगी। जो बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाये जावेगें उन बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
- 42. बिंड प्रकिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम अपील सुनने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय अधिकृत होंगे। यदि निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक ही पद हो तो प्रथम अपील सुनने हेतु निम्नानुसार कमेठी गठित की जावेगी:--
 - क. वित्तीय सलाहकार,
 - ख. कार्यकारी निदेशक (विधि)
 - तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (यदि दोनों एक ही पद हो तो) अधिकृत होंगे।
- 43. पार्सल सेवा संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उन कठिनाइयों को दूर करने हेतु निम्न व्यवस्था होगी :--
 - (A)निगम मुख्यालय पर यातायात शाखा में सहायक संभाग प्रबंधक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
 - (B) पार्सल सेवा संचालनकर्ता / आगारों के मुख्य प्रबंधकों को इस कार्य में कोई समस्या आती है तो उन्हें नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा तथा उनसे इस बारे में सम्पर्क में रहना होगा।
 - (C) नोडल अधिकारी अपने स्तर सें समस्याओं का समाधान नियमानुसार करेगे तथा समय समय पर उचित दिशा निर्देश भी जारी करेंगें।
 - (D) मुख्यालय के निरीक्षण दल द्वारा भी वाहनों के निरीक्षण के दौरान बसों में पार्सल से संबंधित आकरिमक निरीक्षण किया जावेगा।

44. अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगा।

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

- (I) <u>Dispute Resolution</u>: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with e office order referred to above.
- (II) Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlines vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017 referred to above or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee consisted thereunder, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended.

45 युद्ध / दंगें / जन विद्रोह / बन्द / हडताल / तालाबन्दी / दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम के निर्धारित स्टैण्डों पर वाहनों का संचालन निलम्बन / निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो लाइसेंन्सी को इस आकस्मिक घटना की एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी (Force Maejure) क्लाज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार होगी।

- 46. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में परिक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करने आदि की छूट दिये जाने पर बसों के रवानगी स्थल तथा गतव्य स्थल में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस आधार पर लाइसेंसी को किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी।
- 47. निगम बस स्टैण्डों के पार्किंग स्थल पर लाइसेंसी द्वारा या पार्सल बुकिंग हेतु आये ग्राहक द्वारा पार्किंग की जाती है तो उसे पार्किंग शुल्क नियमानुसार देना होगा।
- 48. बोली की वैद्यता अवधि 90 दिवस होगी।
- 49. विवादित स्थिति में न्यायालय का कार्यस्थल क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
- 50. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर (प्रस्ताव) प्रपत्र के साथ संलग्न करें। मैंने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु ई—तकनीकी बोली प्रपत्र ई—तकनीकी बोली — प्रपत्र

(यह	प्रपत्र	अहस्तान्तरणीय	है तथा किय	क गण	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		Δ.	,	•			
•	बोली	प्रपत्र	अहस्तान्तरणीय संख्याः-एफ-	/TIO / Pro	१५७ ५दा ४	न यह	जारा	किया	जावे	उसी	के	प्रयोजनार्थ	青1)
		71 171	(104) (4)-	/ f0/ 140/	/ 23 /							दिनांक:-	

		14 114%—
		बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400/— (अक्षरे:—चार सौ रूपयें) डी.डी. सं0—————दिनांक—————
1.	फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	
	- -	
2.	टेलीफोन नम्बर/मो0	
	कार्यालय—	
	निवास .	
3.	टेलेक्स नं0	
4.	धरोहर राशी : रूप	यें अक्षरें
5.	ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक	
6.	फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता एव	ं रजिस्ट्रेशन नं.——————
7.	बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.	एस.सी संख्या —————
8.	बोली दाता की चल/अचल संपत्ति क	ग विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।
9.	बोली प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावे	जों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नामः— हैसियतः— मालिक/पार्टनर पूर्ण पताः—

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु ई—वित्तीय बोली प्रपत्र ई—वित्तीय बोली — प्रपत्र

्यह बोली	प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष प्रपत्र संख्याः—एफ /मु0/वि0/2023	में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।) दिनांक:— बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400 / — (अक्षरे:— चार सौ रूपयें) डी.डी. सं0————————————————————————————————————
1.	फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	
	·	
2.	टेलीफोन नम्बर/मो0	
	कार्यालय-	
	निवास	
3.	टेलेक्स नं0	
5.	धरोहर राशी :- रूप	यें अक्षरें
5.	ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक	
6.	देय लाईसेन्स राशि रूपये प्रतिमाह रू	मये
	(अ	क्षरे)
7.	फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता ए	वं रजिस्ट्रेशन नं.——————
8.	बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ बोली टाला की चल /अचल संगति	.एस. सी संख्या ——————— का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।

पूरा नामः— हैसियतः— मालिक / पार्टनर पूर्ण पताः—

घोषणा-पत्र

बोलीदाता द्धारा इस घोषणा पत्र को भरकर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1	मैं / हम डी.डी. / बैंकर्स चैक नम्बर	दिनांक	राशि रूपयें
	अक्षरें	को कि	वित्तीय सलाहकार
	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है	संलग्न कर रहे है/कः	र दिया है।
2	मैं / हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक	पढ़ लिया / सुन लिय	ा है तथा इन सभी
	शर्तो की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा	प्रस्ताव निगम द्धारा	स्वीकार कर लिया
	जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ दिये गये प्रार	न्प आधार पर अनुबन्ध	-पत्र पर हस्ताक्षर
	कर दूँगा / देगें ।		
3	मैं / हम घोषणा करता / करते हैं / हूं कि मैने / हमने	जो प्रस्ताव प्रस्तुत कि	ये है उसमें किसी
	अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्त	ाव किसी अन्य व्यक्ति	/संस्था की तरफ
	से नहीं दिये गये है।		
4	मैं / हम वचन देता / देते है कि मेरे / हमारे द्धारा प्रस्त्	गुत यह प्रस्ताव तीन म	ाह की अवधि तक
	लागू रहेगा।		

दिनांक:-

हस्ताक्षर-बोलीदाता मय पद/हैसियत व मोहर सहित

निगम के विभिन्न बस स्टैण्डों पर लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु उपलब्ध स्थान एवं क्षेत्रफल(वर्ग फिट में) का विवरण:--

कमांक	स्थान का नाम	श्रेणी	क्षेत्रफल(वर्ग फिट में)
•	आबूरोड	BS	150
2	आहोर	BS	150
3	अनूपगढ	BS	150
4	अलवर	BS	200
5	78	BS	100
6	बांसवाडा	BS	200
7	बांरा	BS	200
8	बीदासर	BS	100
9	बडोदा मेव	BS	100
10	व्यावर	BS	150
11	भरतपुर	BS	200
12	भीलवाडा	BS	400
13	बीकानेर	BS	300
14	बूंदी	BS	200
15	बिलाडा	BS	150
16	सीबीएस जयपुर	BS	400
17	सीबीएस अजमेर	BS	400
18	चित्तौडगढ	BS	200
19	चाकसू	BS	150
20	चौहटन	BS	100
21	युक्त	BS	200
22	दांता	BS	100
23	दौसा	BS	200
24	देलवाडा	BS	100
25	देवली	BS	150
26	धौलपुर	BS	200
27	दूदू	BS	150
28	डूगरपुर	BS	200
29	फालना	BS	100
30	गंगानगर	BS	200
31	घाटगेट जयपुर	BS	100
32	झालावाड	BS	200
33	झुन्झुनु	BS	200
34	जैतारण	BS	150
35	जोधपुर	BS	300
36	करौली	BS	200
37	केकडी	BS	150
38	खाजुवाला	BS	100
39	खेतडी	BS	150
40	किशनगढ	BS	150
41	कोटा	BS	200
42	लोसल	BS	100
43	मेडतासिटी	BS	150
44	महुआ	BS	150
45	माउण्ट आबू	BS	100
46	नागौर	BS	200
47	नसीराबाद	BS	150

48	नीमकाथाना	BS	150	
49	निमाज	BS	100	
50	निवाई		150	
51	पाली	BS		
52	पडिहारा	BS	200	
53	फलौदी	BS	100	
		BS	100	
54	रतनपुर	BS	100	
55	रायपुर	BS	150	
56	सिमलवाडा	BS	150	
57	सागवाडा	BS	150	
58	सरदारशहर	BS	150	
59	सवाईमाधोपुर	BS	200	
6 0	शाहपुरा	BS	150	
61	शिवगंज	BS	150	
62	सांडेराव	BS	100	
63	श्रीडूंगरगढ	BS	150	
64	सीकर	BS	200	
65	सिरोही	BS	200	
66	सिरोही रोड	BS	100	
67	टोंक	BS	200	
68	उदयपुर	BS	300	

नोट:-सूची में अंकित उपलब्ध स्थान वर्ग फीट क्षेत्र सें कम (आवश्यकतानुसार) वर्ग फीट क्षेत्र भी अनुज्ञाधारी द्वारा लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्थान का किराया वास्तविक क्षेत्रफल अनुसार ही लिया जावेगा ।

ANNEXURE- A

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

Any person participating in a procurement process shall –

- a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.
- f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.
- g) disclose conflict of interest, if any and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to:

- a) have controlling partners/shareholders in common; or
- b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or to proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- B

Place:

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS DECLARATION BY THE BIDDER

DECLARATION BY THE BIDDER	
n relation to my/our Bid submitted to	•
In response to their notice inviting Biological Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that; Ol. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;	id of
22. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Documents;	e
03. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ou affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;	r S
04. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any crimina offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to entire to a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;	r a
05. I/we do not have conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;	3
Date: Signature of Bidder with seal	

Name:

Designation: Address:

ANNEXURE- C GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

As per bid condition No. 39.

01. Filing an appeal

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 02. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

04. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiation;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

05. Form of Appeal

- a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

06. Fee of filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

07. Procedure for disposal of appeal

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

Signature of tenderer with seal

- b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
- (i) here all the parties to appeal present before him; and

- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the perties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of tenderer with seal

FORM No.1 [See rule 83] MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 Appeal No
(i) Name of Appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
02. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)
03. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the act by which the appellant is aggrieved: 04. If the Appellant proposes to be represented by a
representatives, the name and postal address of the representative: 05. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
06. Ground of appeal:
an affidavit) 07. Prayer:
Place :

ANNEXURE- D ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. Correction of arithmetical errors:

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods):

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निगम की लगभग 3300 बसों (डीलक्स आगार द्वारा संचालित सुपर लग्जरी एंव वातानुकूलित बसों को शामिल नहीं करते हुए) के द्वारा लघु पार्सल सेंवा संचालन हेतु

प्रारूप अनुबंध पत्र

	ग्रह	अनबंध	आज	दिनांक	20	23 को	राजर	स्थान	राज्य	पथ	परिवहन	निग	न, ।	पारव	हन
1111	.चगाग्र	<u> जिस्</u> यको	आगे	प्रथम पक्ष	के नाम	से संब	ोधित '	किया	जावेग	ा तथ	中0				
				फर्म /	कम्पनी	अधिनि	यम 1	1956	के	अन्तर्ग	त पजा	कृत	ह	(।जर	нн
मालि	क / सा	झेदार / र	उत्तरार्ग	धेकारी / प्र	शासक ३	आदि भी	सम्मि	लित	है) जि	सको	आगे द्वि	तीय प	1क्ष	के न	ाम
से सं	बोधित	किया ज	ावेगा,	के बीच ि	केया जात	ग है।									

अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार है:-

- ग. यह कि प्रथम पक्ष (निगम) के द्वारा द्वितीय पक्ष को निगम के समस्त आगारों बसों (डीलक्स आगार द्वारा संचालित सुपर लग्जरी एंव वातानुकूलित बसों को शामिल नहीं करते हुए) के माध्यम से राजस्थान राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित बसों की छत पर जिन बसों की छत पर केरियर लगे हुए हैं, पर उपलब्ध स्थान के आधे (50 प्रतिशत) स्थान पर एवं जिन बसों में लगेज केरियर नहीं हैं, उनमें डिक्की के 50 प्रतिशत माग, यदि दो डिक्की है तो एक डिक्की में, चालक केबिन के पास प्लास्टिक बॉक्स में छोटे पार्सल, लिफाफे आदि, घरेलु सामान, लघु पार्सल एवं सामान्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित सम्मावित न्यूनतम समय पर सामान का परिवहन करने हेतु तीन वर्ष के लिए सोल लाइसेंसी नियुक्त किया गया है। द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा आवंटित उक्त स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पार्सल आदि रखने की अनुमति/अधिकार नहीं होगा।
- यह कि पार्सलों के रखने हेतु बसों की छत का 50 प्रतिशत तक स्थान पार्सल रखे जाने हेतु द्वितीय पक्ष के लिए आरक्षित तथा आधे स्थान पर निगम के यात्रियों का सामान रखने हेतु रहेगा। एक समय पर एक बस में कुल 250 किलोग्राम से अधिक वजन के पार्सल नहीं रख सकेगा तथा वही पार्सल स्वीकार योग्य होंगे, जिनका माप प्रति पार्सल 36 x 20 x 20 (घन इंच) एवं वजन सुविधाजनक होगा। द्वितीय पक्ष को बसों के अन्दर लघु पार्सल/व्यापारिक/घरेलू सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3. यह कि लाइसेंस फीस दर राशि रू.....पित तिमाही (अग्रिम) दिनाक.....से देय
- यह कि द्वितीय पक्ष निर्धारित तिमाही लाइसेंस फीस निगम कोष में अग्रिम जमा करायेगा।
- उस कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त राशि निगम के कार्यालय में प्रत्येक तिमाही की लाइसेंस फीस प्रथम माह की 10 तारीख तक अग्रिम जमा करानी होगी। इसके पश्चात् लाइसेंस फीस जमा नहीं होने पर निम्नानुसार शास्ति राशि लाइसेंस फीस के साथ जमा करानी होगी।

कं.	जमा का विवरण	जमा की दिनांक को फीस नहीं करवाने
सं.		पर शास्ति
1	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख	
2	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 15 दिवस की देरी करने पर	
3	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 16 सें 30 दिवस की देरी करने पर	
4	प्रति तिमाही प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 31 सें 60 दिवस की देरी करने पर	
5	प्रति तिमाही प्रथम माह की 10 तारीख के 60 दिवस पश्चात	फर्म की अमानत राशि एवं सम्पूर्ण सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध को समाप्त करना एंव फर्म को तीन वर्ष के लिये किसी भी बोली में भाग लेने के लिये ब्लैक लिस्ट करना ।

6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस फीस अग्रिम जिरये बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट / आर टी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा करानी होगी। निगम का आर टी जी एस नम्बर निम्नानुसार है:—

Beneficiary	RSRTC
Account No.	677405000011
Beneficiary Bank	ICICI Bank Ltd.
Beneficiary Branch	Parivahan marg, Jaipur- 302001
Branch RTGS Code	1CIC0006774
Amount to be remitted	

- ग यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि में से प्रथम पक्ष द्वारा किसी क्षितिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त की गई तिथि से 7 दिवस के भीतर—भीतर पुनः जमा करवानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे संस्थान को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा ओर न ही सबलेट / हस्तान्तरण आदि करेगा।
- यह कि स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा उक्त सेवा पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/टैक्स/प्रभार/जी एस टी आदि जमा कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। यह राशि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा सुरक्षा/धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण द्वितीय पक्ष द्वारा 15 दिवस के भीतर-भीतर करना होगा।
- 10. यह है कि निर्धारित साइज सें अधिक साइज के पार्सल / कार्टून रखे जाने पर उनको स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 12. यह कि कार्यादेश दिये जाने की दिनांक से तिमाही लाइसेंस फीस की राशि का भुगतान निश्चित अविध में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जावेगा।
- 13. यह कि पार्सल के रखरखाव के लिए प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डों पर अधिकृत सोल लाइसेंसी, द्वितीय पक्ष को खुला स्थल (ओपन स्पेस) निगम परिसर में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगा। खुले स्थल पर द्वितीय पक्ष को पार्सल ऑफिस का अस्थाई शेड (टिन/फायबर शीट) का स्वयं के खर्च से बनाना होगा। खुला स्थान (ओपन स्पेस) की दर जयपुर हेतु 50 रू. प्रति स्क्वा0 फीट, जिला स्तर के बस स्टैण्डों पर 30/-रू. प्रतिस्क्वा. फीट एवं अन्य बस स्टैण्डों पर 20/-रू. प्रतिस्क्वा. फीट प्रतिमाह के अनुसार आगार कमेटी खुले स्थल का आवटन करेगी। तथा उक्त पर नियमानुसार कर आदि देय होगें। नियमानुसार नया विधुत मीटर/सर्विस मीटर लाइसेंसी द्वारा स्वयं के खर्च से लगाने के बाद विद्युत खर्च अतिरिक्त देय होगा । स्थल की लाइसंस फीस एवं बिजली उपभोग की राशि संबंधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिमाह जमा कराई जावेगी।
- 14 यह कि प्रथम पक्ष यह स्वीकार करता है कि इस अनुबंध की अविध में द्वितीय पक्ष जब चाहे उपलब्ध कराई गई वाहनों से अपने खर्चे पर उक्त साइज के पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकेगा किन्तु वाहनों के संचालन एवं निगम व्यवसाय में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। द्वितीय पक्ष निगम की सवारियों एवं टिकट वितरण में व्यवधान नहीं डालेगा तथा न ही सवारियों से सम्पर्क करेगा।
- 15. यह कि अनुबंध तीन वर्ष की अविध के लिए होगा जो कि दिनांक से प्रारंभ होकर दिनांक तक के लिए होगा।

- 16. यह कि इस योजना के अन्तर्गत पार्सल बुक करने से लेकर निगम के निर्धारित वाहनों से गन्तव्य तक पहुंचाने में हुए विलम्ब ,क्षति अथवा गुम हो जाने या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से पार्सल को हुई क्षति आदि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी / उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष (लाइसेंसी) का होगा।
- 17. यह कि सरकार द्वारा नियंत्रित / प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मादक पदार्थ, तरल पदार्थ एवं अति ज्वलनशील पदार्थ आदि के पार्सल परिवहन नहीं किये जा सकेंगे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा पार्सल भेजे जाते समय यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि पार्सल के अन्दर कोई ज्वलनशील पदार्थ, अवैधानिक व आपित्तिजनक वस्तुए पार्सल नहीं की जा रही है। इस प्रकार की कोई घोषणा असत्य पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही होने पर द्वितीय पक्ष ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 18. यह कि पार्सलों की बुकिंग, वितरण , बसों में पार्सलों की चढाई, उतराई आदि का समस्त कार्य द्वितीय पक्ष के द्वारा ही किया जावेगा तथा इस पर होने वाले समस्त खर्चे का वहन भी उनके द्वारा ही किया जावेगा।
- 19. यह कि उक्त अनुबंध अथवा सेवा के संबंध में किसी भी प्रकार के कर, जी एस टी, टोल टैक्स एवं चुंगी आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष(लाइसेंसी) की होगी।
- 20. यह कि पार्सल के रखरखाव के लिए प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डों पर द्वितीय पक्ष को खुला स्थल निगम परिसर में प्राथमिकता के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध करायेगा। खुले स्थल पर द्वितीय पक्ष को पार्सल आफिस का अस्थाई शेड स्वयं के खर्चे से बनाना होगा।
- 21. यह कि इस योजना के अन्तर्गत पार्सल बुक करने से लेकर निगम के निर्धारित वाहनों में गन्तव्य तक पार्सल पहुंचाने का समस्त दायित्व अधिकृत सोल लाइसेंसी का होगा। सोल लाइसेंसी पार्सलों की बुकिगं ''एट ओनर रिस्क'' पर ही बुक करेगा। यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, लूटपाट, कर्फ्यू हडताल ,बस दुर्घटना एंव अन्य कारणों से पार्सल क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम हो जाता है तो निगम जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात निगम किसी प्रकार के जोखिम, दावा या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी विधिक विवाद हेतु जवाबदार होगा। किसी भी प्रकार के कर एंव चुंगी आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत लाइसेंसी की होगी। पार्सलों के टूट फूट ,चोरी एंव गुम आदि से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में यदि लाइसेंसी चाहे तो स्वयं के खर्चे से बीमा करवा सकता है। यदि लाइसेंसी बीमा नहीं करवाता है तो समस्त क्षति के लिये लाइसेंस धारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 22. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित चालक / परिचालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 / रूपये (अक्षरे दस रूपये मात्र) प्रति चालान दिया जावेगा जो कि तिमाही लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी। उक्त राशि के आधार पर प्रथम पक्ष उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि किसी भी कारण से प्रथम पक्ष पर दायित्व आता है तो उसका वहन एवं पुनर्भरण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।
- 23. यह कि द्वितीय पक्ष भेजे जाने वाले सामान का चालान तीन प्रतियों में तैयार करेगा। जिसकी एक प्रति चालक/परिचालक को दी जाकर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। लेकिन चालक/परिचालक के हस्ताक्षर के आधार पर पार्सल प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, मारपीट, कर्पयू, हडताल, बस दुर्घटना एवं अन्य कारणों से गुम हो जाने पर चालक/परिचालक एवं प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। यदि लाइसेंसी के लगेज पार्सल आदि हेतु परिचालक इ टी आई एम से टिकिट जारी किये जाने की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है तो निर्धारित राशि लाइसेंस फीस के अतिरिक्त देय होगी।
- 24. यह कि पार्सल व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी। यदि द्वितीय पक्ष पार्सल बुकिंग हेतु सब एजेन्ट रखेगा तो इनके द्वारा किये गये समस्त कार्य कलापों के लिए द्वितीय पक्ष की ही पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व होगा।
- 25. यह कि गन्तव्य स्थान पर पार्सल प्राप्त करने आदि का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किन्तु संबंधित चालक/परिचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने/सामान की सुपुर्दगी नहीं लेने पर संबंधित बस स्टैण्ड के प्रभारी को उक्त पार्सल/सामान चालान सहित सम्मलावेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त

सामान प्रति दिवस रूपये 100 / – प्रति पार्सल शास्ति राशि वसूल कर पार्सल / डाक द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा तथा रसीद प्राप्त करेगा।

- 26. यह कि अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध को निर्धारित अविध से पूर्व समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा लेकिन इस हेतु एक माह का नोटिस प्रथम पक्ष द्वारा दिया जावेगा।
- 27. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि में से प्रथम पक्ष द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो उक्त राशि प्रथम पक्ष (निगम) द्वारा जब्त की गई तिथी से 07 दिवस में द्वितीय पक्ष को पुनः जमा करवानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 28. यह कि जिस दिन संबंधित आगार द्वारा टायर रिट्रेडिंग हेतु भेजे जावेगें अथवा जयपुर से नए टायर किसी आगार को भेजे जावेंगे, उस दिन उस बस में द्वितीय पक्ष द्वारा सामान नहीं भेजा जावेगा इसके लिए प्रथम पक्ष की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- 29. यह कि द्वितीय पक्ष योजना कियान्विति करने के लिए कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस अथवा कार्य आरम्भ करने की दिनांक दोनों में जो भी पहले हो से लाइसेंस फीस देय होगी।
- 30. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर वर्तमान एवं भविष्य में यदि सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा कोरियर एवं पार्सल सेवा पर प्रदाय किये जाने वाले जीएसटी आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी । करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर / प्रमार / शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व लाइसेंसी का होगा।
- 31. यह कि लाइसेंस अविध में प्रथम पक्ष के पास बिना कारण बताये किसी भी समय द्वितीय पक्ष को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी कोई क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है, तो उसे लाइसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक से 6 माह तक अनिवार्य रूप से कार्य करना ही होगा उसके पश्चात 6 माह पूर्व अनुबंध समाप्त करने की सूचना निगम को देनी होगी (अर्थात एक वर्ष की अविध की लाइसेंस फीस का भुगतान निश्चित रूप से करना ही होगा)। 6 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा धरोहर एंव सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- 32. यह कि अनुबंध की किसी भी शर्त का द्वितीय पक्ष द्वारा उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा सात दिवस का नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देते हुये विचारोपरान्त अनुबंध समाप्त करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 33. यह कि लघु पार्सल परिवहन में प्रथम पक्ष की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट-फूट /नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की तुरन्त (15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि में से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।
- 34. यह कि अनुबन्ध समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा स्थापित (पार्सल/कार्यालय हेतु) टीन/फाईबरशीट के कार्यालय / संसाधनों को अपने (द्वितीय पक्ष) खर्च पर 15 दिवस के अन्दर हटाना होगा। अन्यथा उक्त सामाग्री को प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर लिया जावेगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा हटाये जाने पर हुऐ समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से वसूल किया जा सकेगा।
- 35. यह कि द्वितीय पक्ष श्रम कानून एंव भविष्य निधि कानून की पूर्ण पालना करेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लघंन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 36. यह कि बोली प्रपत्र में दी गई शर्ते अनुबंध का भाग होगी। द्वितीय पक्ष उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बोली प्रपत्र में दी गई शर्तों एंव मुख्यालय से समय—समय पर जारी दिशा—िनर्देशों की पालना पूर्ण रूप से करेगा।
- 37. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा बोली प्रस्तावों के साथ संलग्न दस्तावेजों में इरादतन तथ्य छुपाये गये अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो प्रथम पक्ष द्वारा उसकी धरोहर/सुरक्षा राशि / बैंक गारन्टी जब्त करते हुए उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा न्यायिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकेगी। जिसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 38. यह कि पार्सल बुकिंग व डिलीवरी हेतु रिक्शा ठेला बुकिंग कार्यालय स्थल (बस स्टेण्ड के अन्दर) तक आने की अनुमित संबंधित मुख्य प्रबन्धक / प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जावेगी।

- 39. यह िक यदि प्रथम पक्ष की कोई वाहन दुर्घटना / यांत्रिक दोष के कारण संचालन से बाहर रहती है तो द्वितीय पक्ष को लाइसेंस शुल्क में कोई छूट नहीं दी जावेगी।
- 40. यह कि पार्सल सामान्यतः बुकिंग के समय से गाडी यात्रा समय के बाद 48 घण्टे के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाया जावेगा और जहां तक संभव होगा प्रथम पक्ष समयबद्धता का पूरा ध्यान रखेगा लेकिन ऐसे किसी कारण से जिन पर प्रथम पक्ष का नियंत्रण नहीं हो विलम्ब हो जाने पर प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, साथ ही प्रथम पक्ष अदृश्य कारणों से होने वाली क्षति, टूट-फूट, ईश्वरीय कृत्य, दुश्मन की कार्यवाही अथवा दोष जो प्रेषणदाता का रहा हो,
- 41. यह कि अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो मामले के निपटारें के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगा।

ब्रेक डाउन, दुर्घटना, तालाबंदी, हड़ताल, जन विद्रोह, युद्ध, दंगे आदि के लिए उत्तरदायी नहीं

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

- (III) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with e office order referred to above.
- (IV) Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlines vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017 referred to above or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee consisted thereunder, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended.
- 42. यह है कि पार्सल सेवा संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उन कठिनाइयों को दूर करने हेतू निम्न व्यवस्था होगी :—
 - (A)निगम मुख्यालय पर यातायात शाखा में सहायक संभाग प्रबंधक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
 - (B) पार्सल सेवा संचालन / आगारों के मुख्य प्रबंधकों को इस कार्य में कोई समस्या आती है तो उन्हें नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा तथा उनसे इस बारे में सम्पर्क में रहना होगा।
 - (C) नोडल अधिकारी अपने स्तर सें समस्याओं का समाधान नियमानुसार करेगे तथा समय समय पर उचित दिशा निर्देश भी जारी करेंगें।
 - (D) मुख्यालय के निरीक्षण दल द्वारा भी वाहनों के निरीक्षण के दौरान बसों में पार्सल से संबंधित आकरिमक निरीक्षण किया जावेगा।
- 43. यह कि निगम वाहनों द्वारा डाक विभाग की डाक, निगम डाक एवं स्टेशनरी, राज्य सरकार की डाक अथवा सामान लाने व ले जाने का निगम को पूर्ण अधिकार रहेगा तथा द्वितीय पक्ष को यह कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा एवं ना ही इसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा मांग की जावेगी।

44.	यह वि	के सर	कार ह	ारा र	ग्चां लित	विगि	न्न पर्र	ोक्षाअ	ों में	परिक्षा	र्थियों	को	नि:शुल	क य	ারা	करने
	आदि	की घ	रूट दि	वे जा	ने पर	बसों	के रवा	नगी	रथल	तथा	गंतव्य	स्थ	ल में	कोई	परि	वर्तन
	किया	जाता	है, ते	इस	आधार	पर	द्वितीय	पक्ष	को	किसी	प्रकार	की	कोई	छूट	देय	नहीं
	होगी।															
														-		Att

45. यह कि प्रथम पक्ष के बस स्टैण्डों के पार्किंग स्थल पर द्वितीय पक्ष द्वारा या पार्सल बुकिंग हेतु आये ग्राहक द्वारा पार्किंग की जाती है तो उसे पार्किंग शुल्क नियमानुसार देना होगा।

46. यह कि विवादित स्थिति में न्यायालय का कार्यस्थल क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

अतः हम आज दिनांकको इस करार/अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते है।

स्थानः— जयपुर

गवाह 1

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष

गवाह 1

गवाह 2

गवाह 2